प्रेषक,

संख्या: 943 /XVII(1)/06-11(10)/05

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून: दिनांक 09 अक्टूबर, 2006

विषय : राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल के परिसर में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल के परिसर में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु दो पृथक-पृथक छात्रावासों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत कुल रूपये 155.28 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख अठाईस हजार मात्र) की धनराशि के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रथम किस्त के रूप में रूपये 62.11 लाख (रूपये बासठ लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निपटान पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रबन्धक, राठ महाविद्यालय पैठाणी से एक विधि सम्मत अनुबन्ध किया जाना होगा कि (1) निर्मित होने वाले दोनों छात्रावासों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग की भूमिका केवल छात्रावास के निर्माण तक सीमित होगी तथा छात्रावासों के संचालन व रख-रखाव के लिए कोई आवर्तक व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा, (2) दोनों छात्रावासों का संचालन एवं रख-रखाव विद्यालय प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा तथा इस पर आने वाला आवर्तक व्यय भी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा ही वहन किया जायेगा, (3) जिस भूमि पर छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा, उस भूमि का तथा उस पर निर्मित छात्रावासों का पूर्ण स्वामित्व समाज कल्याण विभाग का होगा, (4) छात्रावास संचालन की व्यवस्था के लिए छात्रावास का उपभोग करने वाले विद्यार्थियों से ऐसी आवश्यक धनराशि प्राप्त की जा सकेगी, जो छात्रावास संचालन के लिए व्यय की गई हो अथवा व्यय की जानी आवश्यक हो अर्थात छात्रावास का संचालन "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त पर किया जा सकेगा तथा (5) छात्रावास में प्रवेश, संचालन एवं छात्रावास के सम्बन्ध में अन्य किसी भी प्रकार के निर्णय लिए जाने सम्बन्धी विद्यालय प्रबन्धन की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को भी ससमय सूचित करते हुए आमन्त्रित किया जायेगा।

4- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

5- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

7- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

9- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

12– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13– मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या–2047.XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाये।

14– उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

15– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य कराते समय टेन्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये।

16– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

17– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

18– तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

19– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय– 03–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास– 00–" के मानक मद– "24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 255/XXVII(3)/2006 दिनांक 26 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

( विनीता कुमार )
प्रमुख सचिव।

संख्या–953(1)/XVII(1)/06–11(प्रकोष्ठ)/2006/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन. आई. सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
10. प्रबन्धक, रा0 महाविद्यालय, पैठाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( [illegible] )